

कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी, कबीरधाम (छ.ग.)

// आदेश //

कमांक/स्था./2016-17/

कबीरधाम, दिनांक /01/2017

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र कमांक/201/2537/2015/स्था./चार, नया रायपुर, दिनांक 02.03.2016 द्वारा प्राप्त स्वीकृति तथा संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, छ.ग. इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र कमांक/संकोले/टी.सी.एस.-224/स्था/2015/123 रायपुर दिनांक 06.03.2016 द्वारा दिये गये निर्देश एवं कलेक्टर कबीरधाम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा, चयनित निर्दिष्ट अभ्यर्थी को सहायक ग्रेड-3 (अ.ज.जा.) के पद पर वेतनमान 5200-20200+ग्रेड वेतन 1900 तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर निम्न शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिये अस्थायी रूप से, जिला कोषालय कबीरधाम में, पदस्थ किया जाता है :-

स. क.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता
1.	श्री विनय कुमार	श्री रामजी	ग्राम-सरईसेत, पोस्ट-कोदवागोड़ान तह.-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

नियुक्ति की शर्तें :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। किसी भी प्रक्रिया में यदि नियुक्त व्यक्ति उक्त पद हेतु पात्रता नहीं रखता है अथवा गलत जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किया है, तो कभी भी बिना कारण बताये नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
2. छ.ग. शासकीय सेवक (अस्थाई तथा अर्धस्थायी सेवा) नियम-1960 के नियम-12 के अनुसार उम्मीदवार की सेवाएं किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह की लिखित सूचना या उसके एवज में 01 माह का वेतन व भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी।
3. उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 01 माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों पर देय रकम संबंधित से भू-राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।
4. संबंधित कर्मचारी की सेवाएं 02 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर रहेगी, तथा इस अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परीविक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवा समाप्त की जा सकती है।
5. अभ्यर्थी को जिले के चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र, सेवा में पदभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि के भीतर उपस्थिति नहीं देने पर यह माना जावेगा कि, इस पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं। अतः नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी।
7. उपस्थिति देते समय विज्ञापन आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। तथा मिलान हेतु मूल प्रति साथ लाना होगा।
8. अभ्यर्थी को पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई कमी पायी जाती है, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।
9. प्रमाणित किया जाता है कि, नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

जिला कोषालय अधिकारी
कबीरधाम (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था./2016-17/ 60
प्रतिलिपि :-

कबीरधाम, दिनांक 11/01/2017

1. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन छ.ग., इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. सिविल सर्जन कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रदाय हेतु सम्प्रेषित।
5. जिला रोजगार अधिकारी, जिला स्वरोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्र, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. संबंधित श्री विनय कुमार पिता-श्री रामजी पता-ग्राम-सरईसेत,पोस्ट-कोदवागोड़ान, तहसील-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
7. स्थापना शाखा, जिला कोषालय कबीरधाम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कबीरधाम की ओर आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट www.kawardha.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला कोषालय अधिकारी
कबीरधाम (छ.ग.)

कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी, कबीरधाम (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक/स्था./2016-17/

कबीरधाम, दिनांक /01/2017

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक/201/2537/2015/स्था./चार, नया रायपुर, दिनांक 02.03.2016 द्वारा प्राप्त स्वीकृति तथा संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, छ.ग. इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक/संकोले/टी.सी.एस.-224/स्था/2015/123 रायपुर दिनांक 06.03.2016 द्वारा दिये गये निर्देश एवं कलेक्टर कबीरधाम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा, चयनित निर्दिष्ट अभ्यर्थी को भृत्य (अ.ज.जा.) के पद पर वेतनमान 4750-7440+ग्रेड वेतन 1300 तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर निम्न शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिये अस्थायी रूप से, जिला कोषालय कबीरधाम में, पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता
1.	श्री केशव कुमार	श्री चन्द्रकुमार	ग्राम- भरीटोला, पोस्ट-भरीटोला, विकासखण्ड-डौण्डी, जिला-बालोद (छ.ग.)

नियुक्ति की शर्तें :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। किसी भी प्रक्रिया में यदि नियुक्त व्यक्ति उक्त पद हेतु पात्रता नहीं रखता है अथवा गलत जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किया है, तो कभी भी बिना कारण बताये नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
2. छ.ग. शासकीय सेवक (अस्थाई तथा अर्धस्थायी सेवा) नियम-1960 के नियम-12 के अनुसार उम्मीदवार की सेवाएं किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह की लिखित सूचना या उसके एवज में 01 माह का वेतन व भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी।
3. उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 01 माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों पर देय रकम संबंधित से भू-राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।
4. संबंधित कर्मचारी की सेवाएं 02 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर रहेगी, तथा इस अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परीविक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवा समाप्त की जा सकती है।
5. अभ्यर्थी को जिले के चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र, सेवा में पदभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि के भीतर उपस्थिति नहीं देने पर यह माना जावेगा कि, इस पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं। अतः नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी।
7. उपस्थिति देते समय विज्ञापन आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। तथा मिलान हेतु मूल प्रति साथ लाना होगा।
8. अभ्यर्थी को पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई कमी पायी जाती है, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।
9. प्रमाणित किया जाता है कि, नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

जिला कोषालय अधिकारी
कबीरधाम (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था./2016-17/ 62
प्रतिलिपि :-

कबीरधाम, दिनांक 11/01/2017

1. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन छ.ग., इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. सिविल सर्जन, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रदाय हेतु सम्प्रेषित।
5. जिला रोजगार अधिकारी, जिला स्वरोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्र, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. संबंधित श्री केशव कुमार पिता-श्री चन्द्रकुमार पता-ग्राम-भर्रीटोला, पोस्ट-भर्रीटोला, विकासखण्ड-डौण्डी, जिला-बालोद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
7. स्थापना शाखा, जिला कोषालय कबीरधाम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कबीरधाम की ओर आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट www.kawardha.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला कोषालय अधिकारी
कबीरधाम (छ.ग.)